

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- ७६/११-१७

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री शमशेरु सु. वास्वी ..... वो अंचल निरीक्षक श्री राजेश्वर रास ..... का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा शुशुआ ..... थाना नं० ६१२ ..... गैरमजरूआ खाता नं० १२५/२५ दाग नं० ३२ ..... रकवा १०-१५-०१ किस्म पारी करीम श्री शोकिन्द प्र जावाडी ..... पिता देवी प्र जावाडी ..... साकिन.....के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री शोकिन्द प्र जावाडी को दिनांक ..... समय ..... पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

Be  
२१/७/१६

अंचल अधिकारी,  
महागामा।

२  
अभिलेख संख्या ३५२/१५/१६। नोडिडा जामिला प्राप्ता पो। शोकिन्द देवी शमशेरु सु. वास्वी द्वारा नोडिडा जामिला प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि शोकिन्द प्र जावाडी पिता देवी प्र जावाडी खाता नं० १२५/२५

7/6/2019

अभिलेख उपस्थापित।  
नोटिस निर्गत करें।

अंचल अधिकारी  
महागामा

17/5/19

अभिलेख उपस्थापित।  
नोटिस बिना तानिस्त का वापस।

3/7/2020

अभिलेख उपस्थापित।  
नोटिस निर्गत करें।

अंचल अधिकारी  
महागामा

  
3/7/2020


05/01/2021

अभिलेख उपस्थापित।  
राज्य उपनिरीक्षक लक्ष्मी अंचल निरीक्षक  
महागामा से प्रस्ताव अग्रे का भौतिक प्रतिवेदन  
के साथ अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है,  
जिसका अवलोकन किया। प्रतिवेदानुसार अपेक्ष  
वैधतापूर्वक पंजी-II स्तर को अग्रे लक्ष्मी  
प्राधिकार से प्राप्त है। वर्तमान में उक्त  
सूचि ECL क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र के  
अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में  
अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जा रही है।

उपस्थापित।

  
अंचल अधिकारी  
महागामा

  
अंचल अधिकारी  
महागामा

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,  
महापाया।

विषय :- अवैध संदेहास्पद वाद संख्या ..... ५८ / 2016-17 श्री/वि.६.५८.गारवा.६ पिता-  
द.२.५८.गारवा.६ का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पद वाद संख्या .....  
५८ / 2016-17 श्री/वि.६.५८.गारवा.६ पिता-द.२.५८.गारवा.६ का जांच  
प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरान्त पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बसुआ, थाना  
नं०-692 के गैरमजबूत खाला सं०-24 / 24 के अंदर दाग नं०-32 का अंश रकवा .....  
००-15-01 धूर किसम- परती-कदीप अंचल अधिकारी, महापाया/अनुमंडल  
पदाधिकारी, गोड्डा के ..... R.F. केश नं०-.....108.7M.C.को.12/74.7 के माध्यम से  
श्री/वि.६.५८.गारवा.६ पिता-द.२.५८.गारवा.६ को प्राप्त हुआ है, जिसकी  
छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई०सी०एल० के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख  
की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनाार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

